

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

विभागीय आदेश संख्या-181 दिनांक 13.01.2026 द्वारा महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा-04 एवं राजपत्र संख्या-593 दिनांक 09-12-13 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-17903 दिनांक 29-12-2013 द्वारा अधिसूचित नियम के आलोक में उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं अधीनस्थ निदेशालयों में कार्यरत महिला कर्मियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति के अध्यक्ष डॉ० प्रेरणा सिंह, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर सुश्री/श्रीमती ज्योति कुमारी, सहायक निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को उक्त समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है।
इस संबंध में विभागीय स्तर से पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह०/-
(अविनाश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 3676

पटना, दिनांक:- 17/07/26

3/उ०स्था०(विविध)20/13 खंड

प्रतिलिपि:-आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों एवं बाह्य सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय), बिहार/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/माननीय मंत्री उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निजी सहायक/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सुश्री/श्रीमती ज्योति कुमारी, सहायक निदेशक-सह-अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय आदेश संख्या-181 दिनांक 13.01.2026 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई० प्रबंधक, आई०टी० कोषांग, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव